



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 129520

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 41649 वर्ष 2025

अनीस

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 68

(क्रमांक 97)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. ओझा को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 15.01.2012 तथा प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 21.01.2012, साथ ही आपराधिक मुकदमा संख्या 1170 वर्ष 2012 (राज्य बनाम अनीस एवं अन्य), धारा 48A, 9/39/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो मुकदमा अपराध संख्या 1704 वर्ष 2011, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में धारा 9, 39, 44, 49(B), 50 एवं 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 183 वर्ष 2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली, जिला हाथरस में पंजीकृत की गई थी और जांच के उपरांत दिनांक 15.12.2018 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 23.03.2021 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा उसके आधार पर की गई जांच के आधार पर संज्ञान लिए जाने पर रोक लगाती है। धारा 55 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में केवल धारा 55 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा परिवाद दाखिल किया जाना आवश्यक है और कोई भी न्यायालय ऐसे निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दाखिल परिवाद के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान और अन्य [एआईआर 1989 एससी 1]** में दिए गए निर्णय तथा इस न्यायालय की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.05.2025 को धारा 528 के तहत आवेदन, बीएनएसएस संख्या 13138/2025 (अनुराग वार्सनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। उपर्युक्त निर्णय तथा धारा 55 के विशिष्ट प्रावधान के दृष्टिगत, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विरुद्ध वर्तमान मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 पर भरोसा किया, जो उप-निरीक्षक से उच्च पद के किसी पुलिस अधिकारी सहित विभिन्न व्यक्तियों को किसी वन्य जीव को गिरफ्तार करने अथवा उसकी तलाशी लेने अथवा उसे अभिगृहीत करने का अधिकार प्रदान करती है। तथापि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि संज्ञान केवल धारा 55 में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दाखिल परिवाद पर ही लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
5. इस संबंध में विधि मुराद अली खान (उपरोक्त) के मामले में पूर्णतः स्थापित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-13 में निम्नलिखित रूप से स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है:

"13. इन प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 'अधिनियम' के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा केवल धारा 55 में उल्लिखित अधिकारी की शिकायत पर ही लिया जा सकता है। दिनांक 23-6-1986 को शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा अधिकारी बताया था। ऐसी परिस्थितियों में, भले ही क्षेत्राधिकार वाली पुलिस ने अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराध के संबंध में कोई मामला दर्ज किया हो, धारा 210(1) लागू नहीं होगी, क्योंकि यह स्थिति स्पष्ट है कि ऐसे अपराध का संज्ञान केवल उसी अधिकारी की शिकायत पर लिया जा सकता है जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है। यहां तक कि जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से संस्थित अपराध का संज्ञान लेता है और उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा जांच चल रही हो, तब भी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दोनों मामले अपनी पृथक पहचान नहीं खोते हैं। इस धारा का उद्देश्य एक ही अपराध का एक से अधिक बार संज्ञान लिए जाने से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। किंतु जहां, जैसा कि वर्तमान मामले में है, संज्ञान केवल एक ही तरीके से और वह भी किसी विशेष वैधानिक अधिकारी की शिकायत पर लिया जा सकता है, वहां एक से अधिक बार संज्ञान लेने की कोई गुंजाइश अथवा अवसर नहीं है और तदनुसार धारा 210 की कोई भूमिका नहीं है। धारा 210 के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण समर्थनीय नहीं है।"

6. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 निम्नानुसार है:

"55. अपराधों का संज्ञान —

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं लेगा, जब तक कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद न किया गया हो—

(a) वन्य जीव संरक्षण निदेशक अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(aa) अध्याय IV –A के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का सदस्य-सचिव; या

(ab) बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य-सचिव; या

(ac) संबंधित बाघ अभयारण्य का निदेशक; या

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



[(ad) प्रबंध प्राधिकारी अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, जिसमें वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का अधिकारी भी शामिल है; या]

(b) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएं; या

(bb) धारा 38-J के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में चिड़ियाघर का प्रभारी अधिकारी; या

(c) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने निर्धारित तरीके से कथित अपराध तथा परिवाद किए जाने के अपने आशय की कम से कम साठ दिन की सूचना केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त रूप से अधिकृत अधिकारी को दी हो।" **

7. अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि धारा 55 में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए परिवाद के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। वर्तमान मामले में दिनांक 21.01.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा थाना बिलासपुर, जिला रामपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1704 वर्ष 2011 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच के उपरांत प्रस्तुत किए गए आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया है। अतः उपर्युक्त संज्ञान/समन आदेश, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 में निहित विशिष्ट रोक के दृष्टिगत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुराद अली खान (उपरोक्त)** में प्रतिपादित विधि के अनुसार, विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है।

8. इस प्रकार, दिनांक 21.01.2012 का संज्ञान/समन आदेश विधि की दृष्टि में कायम नहीं रह सकता और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. तथापि, अधिनियम की धारा 55 में उल्लिखित वन्य जीव संरक्षण प्राधिकारी, यदि ऐसा उचित समझें, तो परिवाद वाद दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

29 जून, 2026

आशीष प्रसाद

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”